बिहार सरकार

# बेनीपुर नगर परिषद्, बेनीपुर

## !! सार्वजनिक सूचना !!

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का 29) के अधीन राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियामावली, 2016 के नियम 6(4) द्वारा उक्त नियमावली के प्रावधानों को निगमित करते हुए उपविधि बनाने हेतु स्थानीय निकाय को अधिदेष दिया गया है। चूंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–421 नगरपालिकाओं को इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु इस अधिनियम के अधीन कोई विनियम बनाने हेतु सशक्त करती है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 तथा बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की अधिसूचना के क्रियान्वयन में संगतता एवं मानकीकरण के विचार से बिहार राज्य सरकार एतद द्वारा अधिनियम की धारा–421 के अधीन नगरपालिकाओं द्वारा अंगीकार करने के लिए निम्नलिखित मॉडल बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2018 अधिसूची की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसे नगर विकास एवं आवास विभाग के वेबसाईट www-urban-bih-nic-in पर उपलब्ध करा दी गई है।

एतद द्वारा अधिनियम की धारा–422 के अधीन इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और संबंधित नगरपालिका धारा–422 की उपधारा (क) (ख) एवं (ग) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं प्रस्तुत विनियमावली के पालन में नगर निकायों द्वारा सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है :

1. अधिनियम की धारा–422 के अधीन इससे प्रभावित हाने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए बिहार नगरपालिका प्लास्टिक द्य अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2018 की छायाप्रति 30 दिनों तक निकाय के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है।
2. निकाय के वेब पोर्टल पर बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2018 की प्रति अपलोड कराया गया है। जिससे नगरवासी इसका अवलोकन कर सकें।
3. बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2018 की छायाप्रति निर्धारित शुल्क पर 30 दिनों तक आम जनों द्वारा नगर निकाय से प्राप्त किया जा सकता है।
4. सभी निकायों को निदेशित किया जाता है कि राज्य में प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। अतः इसे हर वर्ग के लोगों तक व्यापक प्रचार–प्रसार कर इसकी सूचना आमजनों तक सुलभ कराना है। विभाग द्वारा इसके लिए प्रचार–प्रसार सामग्री तैयार की गई है। निकाय द्वारा 30 दिनों तक लगातार व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाना है।

**राज्यहित में प्लास्टिक पर प्रतिबंध के निम्न निर्णय है :**

1. कोई भी व्यक्ति शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किए बिना) विनिमार्ण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन या उपयोग नही करेगा।
2. दुकानदार, भेंडर, थोक विक्रेता, व्यवसायी, हॉकर, फेरीवाला सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी खाने या न खाने योग्य माल या सामग्रियों के या वितरण के लिए किसी प्रकार के कैरी बैग का विक्रय या भंडारण या वितरण या उपयोग नही करेगा।

   कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, थोक विक्रेता, व्यवसायी, विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, स्ट्रीट भेंडर आदि इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाते है तो उन्हें बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि–2018 के अनुसूची–1 के अनुरूप शुल्क दंड लगाने का प्रावधान किया गया है।

   अनुसूची–1 के अनुरूप शुल्क दंड नही देने वालों को जुर्माना की राशि संपत्ति कर के बकाए के रूप में नगर निकायों द्वारा वसूली की जाएगी एवं बार–बार इस नियम की उपेक्षा करने वाले के विरूद्ध बिहार नगरपालिका की धारा–426 के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

ह0/–

**कार्यपालक पदाधिकारी**
नगर परिषद्, बेनीपुर।

अवैध शराब एवं मादक द्रव्य के सम्बंध में शिकायत टॉल फ्री नं0 18003456268 या 15545 पर करें।